कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

क्रं./एफ– /1/सा.प्र.वि./विविध/2025/1126 भिलाई, दिनांक 21/8/2025

//आदेश//

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आव्हान पर कर्मचारी समस्याओं के विभिन्न मांगों के संबंध में दिनांक 22.08.2025 को किये जाने वाले एक दिवसीय आंदोलन में शामिल होने हेतु नगर पालिक निगम, भिलाई के जिस किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा आकस्मिक अवकाश आवेदन प्रस्तुत किया जावेगा। उनका उक्त दिवस के वेतन कटौती की कार्यवाही की जावेगी। अतः दिनांक 22.08.2025 को समस्त अधिकारी/कर्मचारी अपने कर्त्तव्यों पर अनिवार्यः उपस्थित रहेगें।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./एफ– /1/सा.प्र.वि./विविध/2025/1127 भिलाई,दिनांक 21/8/2025

प्रतिलिपि :–

1. महापौर/अध्यक्ष, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
2. अपर आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
3. मुख्य अभियंता, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
4. अधीक्षण अभियंता I/II, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
5. उपायुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन क्रमांक 1,2,3,4 एवं 5, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
7. सर्व विभाग प्रमुख..नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
8. लेखाधिकारी/जनसंपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
9. कार्यालय अधीक्षक सामान्य प्रशासन विभाग, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
10. प्रभारी लिपिक, सामान्य प्रशासन विभाग, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. प्रभारी लिपिक डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं निगम की वेबसाईट में अपलोड हेतु।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग,
(शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा)
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 3–11/2015/1–9 नया रायपुर, दिनांक 28/08/2015

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर्स
छत्तीसगढ़

विषयः–शासकीय कर्मचारियों द्वारा आयोजित हड़तालों, धरना तथा सामूहिक अवकाश आदि के अवसरों पर कार्यालय से अनुपस्थिति की अवधि के संबंध में।

शासकीय कर्मचारियों द्वारा आयोजित हड़तालों, धरना तथा सामूहिक अवकाश आदि के अवसरों पर कार्यालय से अनुपस्थिति की अवधि के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 2–3/1–9/2006 दिनांक 10.04.2006 द्वारा निर्देश जारी किए गए है। सुलभ संदर्भ हेतु उक्त परिपत्र की छायाप्रति प्रति संलग्न है।

2/ कतिपय कर्मचारी संगठनों के आव्हान पर दिनांक 27 अगस्त, 2015 को कई कर्मचारी कार्यालय से अनुपस्थित रहे। उनकी अनुपस्थिति के संबंध में उपरोक्त परिपत्र में निहित निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाए।

संलग्नः–परिपत्र की छायाप्रति।

(डी.डी. सिंह)
विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग,

क्रमांक एफ 3–11/2015/1–9 नया रायपुर, दिनांक 28/08/2015

प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, मंत्रालय, नया रायपुर ।
2. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर।
3. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर।
4. विशेष सहायक/निज सचिव, समस्त माननीय मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव।
5. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, कार्यालय, रायपुर ।

क्रमशः...2

6. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय नया रायपुर।
7. उप सचिव, महाधिवक्ता कार्यालय उच्च न्यायालय परिसर, छत्तीसगढ़ बिलासपुर।
8. सचिव, छ0ग0 लोक सेवा आयोग, रायपुर।
9. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा।
10. सचिव, लोक आयोग/महिला आयोग/युवा आयोग/जनजाति आयोग/मानव अधिकारी आयोग/अल्प संख्यक आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर।
11. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर।
12. संचालक, जनसंपर्क रायपुर।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग,

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक एफ 2–3/1–9/2006 रायपुर,दिनांक 10/4/06

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर्स
छत्तीसगढ़

विषयः– शासकीय कर्मचारियों द्वारा आयोजित हड़तालों, धरना तथा सामूहिक अवकाश आदि के अवसरों पर कार्यालय से अनुपस्थिति की अवधि के संबंध में ।

000

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम,1965 के नियम–6 तथा नियम 7 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदर्शन तथा हड़तालें और "स्वीकृत होने के पूर्व अवकाश पर प्रस्थान" राज्य के शासकीय सेवकों के लिये प्रतिबंधित है । इसके संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्देश जारी किये गये है । परंतु यह देखने में आया है कि उक्त प्रकार के प्रतिबंधित कृत्य किये जाने पर संबंधित शासकीय कर्मचारियों पर अपेक्षित कार्यवाही नहीं की जा रही है ।

2/ अतः प्रशासन में अनुशासनबद्धता की दृष्टि से राज्य शासन द्वारा पुनः निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते है :–

(अ) शासकीय सेवकों के उपर्युक्त प्रकार के कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के अनुसार कदाचरण (MISCONDUCT) की श्रेणी में आते है । यह बात सर्व संबंधितों को अवगत कराई जाए और यह स्पष्ट किया जाए कि उनके द्वारा ऐसे कृत्य किए जाने पर वे अनुशासनात्मक कार्रवाई के भागी होगें ।

(1) बिना पूर्व स्वीकृति के सामूहिक अवकाश पर जाने की दशा में अथवा हड़ताल में भाग लेने की दशा में ऐसी अनाधिकृत अनुपस्थिति के दिवसों तथा हड़ताल का वेतन इत्यादि देय नहीं होगा, न ही इस प्रकार की अनुपस्थिति के दिवसों का अवकाश स्वीकृत किया जायेगा । ऐसे दिवसों की अवधि का कोई वेतन इत्यादि देय नहीं होगा और इस अवधि को "ब्रेक–इन–सर्विस" माना जाएगा ।

(2) उपरोक्त के अतिरिक्त जब कभी शासकीय सेवकों द्वारा उक्त प्रकार के कृत्य किये जाएं तो ऐसे घोर अनुशासनहीनता करने वालों के विरूद्ध गुणदोषों के आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के आदेश सक्षम अधिकारी दे सकेंगे ।

2...

135

(ब) पैरा–2 (अ) में बतायी गयी सामान्य नीति में यदि कुछ अन्य रियायतें देने हों, जिनके लिए कि किन्हीं विशेष परिस्थितियों के कारण औचित्यपूर्ण आधार विद्यमान हों तो ऐसी रियायतें देने के प्रस्ताव अभिलिखित रूप से, कारण दर्शाते हुए विभागाध्यक्षों द्वारा शासन के विचार हेतु भेजे जाएं ।

3/ उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए ।

(आर. पी. बगाई)
मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन

पृ.क्र. एफ 2–3/1–9/2006
रायपुर,दिनांक 10-4-06

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, लोक सेवा आयोग, रायपुर
2. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
3. सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
5. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली
6. विशेष सहायक/निज सचिव, समस्त माननीय मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव
7. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, रायपुर
8. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर
9. उप सचिव, महाधिवक्ता कार्यालय उच्च न्यायालय परिसर, छत्तीसगढ़ बिलासपुर
10. मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर
11. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय
12. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा
13. सचिव, लोक आयोग/महिला आयोग/युवा आयोग/जनजाति आयोग/मानव अधिकारी आयोग/अल्प संख्यक आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर
14. सचिव माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर
15. संचालक, जनसम्पर्क, रायपुर
16. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघों के प्रांताध्यक्ष, छत्तीसगढ़

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
सामान्य प्रशासन विभाग